

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 59]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 30 जनवरी 2014—माघ 10, शक 1935

गृह (सी-अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2014

क्र. एफ-35-32-2013-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध किया जाए,

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का, दिनांक 30 जनवरी 2014 से तीन माह की अवधि के लिए प्रतिषेध करती है:—

अनुसूची

वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक, प्रवर्ती (ऑपरेटिव) अनुसचिवीय व्यक्ति जो—

- (1) राज्य के समस्त चिकित्सा, दंत चिकित्सा, महाविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध अस्पताल तथा;
- (2) प्रदेश के सभी स्तरों के समस्त शासकीय चिकित्सालयों, औषधालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों, स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों से संबंधित हो.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. व्ही. सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2014

क्र. एफ-35-32-2013-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. व्ही. सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 30th January 2014

F. No. 35-32-2013-II-C-1.—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified in the Schedule below;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashyak Sewa Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979) the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential services specified in the Schedule with effect from 30th January, 2014 for a period of **three months**:—

SCHEDULE

Scientific, Technical, Executive, Operative, Ministerial, personnel connected with.—

- (1) All Medical, Dental, Colleges of the State and Hospitals attached thereto and;
- (2) All Government Hospital, Dispensaries, Health Centres, Health Education Institutions of all levels in the State.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
D. V. SINGH, Dy. Secy.